बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९।

भारत शासन विधान १९३५ के प्रत्यावधान के अनुसार एकत्र विधायिका सभा का कार्य विवरण।

सभा की बैठक पटने के सभा-वेश्म में बृहस्पतिवार तिथि २२ दिसम्बर १९४९ को ११-३० बजे पूर्वान्ह में माननीय प्रमुख श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुई :

संख्या।	व्यवसाय संघों के नाम।	आफिस का पता।	मैनेजिंग एजेन्टों के नाम।
५।	बिहार स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, लिमिटेड।	मारफत मधुसूदन मिल्स, लिमिटेड, ग्लोब मिल्स पैसेज, डैपलिवली रोड, बम्बई।	गुरुशरण लाल।
६।	इण्डियां रीकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन मिल्स, लि०।	फ्रेजर रोड, पटना।	नजमुल हसन।
७।	स्टार टेक्सटाइल लि०।	एक्जीवीशन रोड, पटना।	श्री आर० लाखोतिया
८।	एसोसियेटेड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, लिमिटेड।	६।२ आर ब्लौक, पटना।	मेसर्स भारतीय सिल्पी लिमिटेड।

मिल की अधिकृत पूंजी और उनके बिके हुए शेयरों का विवरण प्राप्त नहीं है।

(ख) आठ मिलों में से पांच के आफिस बिहार से बाहर और तीन के प्रान्त में ही हैं।

(ग) इन काठ मिलों के अतिरिक्त सरकार ने स्पीनिंग मिलें खोलने की इजाजत केवल श्री बी० पी० खत्री, कदम कुंआ, पटना को दी है। उन्होंने अभी तक इसके लिये मैनेजिंग एजेन्ट नहीं नियुक्त किया।

बगहा का आयरन का कारपोरेशन।

२३६। श्री जयनारायण प्रसाद : क्या माननीय विकाश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) रजिष्टर्ड आढ़तिया होने के बाद से बगहा के मेसर्स आमरन एण्ड स्टील कारपोरेशन और भवानीपुर जीराज, मोतीहारी के मेसर्स विन्देश्वरी सिंह को हर साल कितने टन लोहे और स्पात दिये गये ?

(ख) ईन आढ़तियों का पता क्या है और उनके गोदाम कहां है ?

(ग) क्या यह सच है कि इन आढ़तियों को दिये गये लोहे और स्पतोंका कोई भी अंश चम्पारण जिला निवासियों को नहीं मिलता है।

(घ) क्या यह सही है कि प्रथम कम्पनी के सामान की बिक्री दिघवारा (छपरा) में होती है और पिछले की पटना में ?

(क) माननीय डा० सैयद महमूद: बगहा के आयरन ऐण्ड स्टील कारपोरेशन नामक किसी भी आढ़तियों को कभी भी लोहा और इस्पात नहीं दिया गया। अलबत्ते बगहा में चम्पारण आयरन ऐण्ड स्टील कारपोरेशन नामक एक प्रतिष्ठान को कुल ७६ टन शुद्ध लोहा और स्पात दिया गया था जो बाद में बन्द कर दिया गया। बाबू बिन्देश्वरी प्रसाद, भवानीपुर जीरात (मोतिहारी) को अब तक कुल ३४५ टन शुद्ध लोहा और स्पात दिया गया है।

(घ) (क) के उत्तर को देखिये।

(ग) उत्तर 'न' में है।

(घ) उत्तर 'न' में है। ओe टी० रेलवे पर माल के वुकिंग में प्रतिबन्ध होनें के कारण भारत सरकार ने जोर दिया है कि उत्तर बिहार के आढ़तिये अपने मालों की डिलीवरी नजदीक के बड़ी लाइन के किसी स्टेशन पर ही लेलें, जिससे उत्पादकों के यहां मालों का जमाव न हो जाय, और फिर तब वहां से जब और जैसे सुविधा हो, सड़क या नदी से माल अपने गोदाम तक ले जायं। बहुत से परमिट वाले जरूरत मोताबिक उन स्थानों के परमिटों पर ही अपने मालों की डिलीवरी ले लेते हैं जहां से माल उतार कर उनके असली गोदाम को जाता है।

परती जमीन का क्षेत्र फल

२३७। जयनारायण 'विनीत' : क्या कृषि विभाग के माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' का प्रारम्भ होने के पहले अन्न उपजाने योग्य परती जमीन का क्षेत्रफल प्रांत भर में क्या था।

(ख) उस परती जमीन में से कितनी जमीन 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' शुरू होने के बाद दिसम्बर सन् १९४८ ई० तक साधारण तौर से प्रांत भर में और खास कर दरभंगा जिले में जोत में लाई गई है;